



11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक 173
दिनांक 28/11/26

पत्रांक: 2901

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर

31 /2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।

विषय:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट गें घाट-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड़ से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.810 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रस्ताव सं० FK/UK/Road /18867 /2016.

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक-2357 /10एल०ए०, दिनांक-01.12.2025

महोदय,

उपरोक्त सदरभित पत्र से विषयांकित प्रकरण जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाट-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड़ से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.810 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान एवं पातन करने हेतु अनुरोध किया गया है। अवगतनीय है कि उक्त प्रकरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुए पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, फलस्वरूप उक्त प्रकरण हेतु एन०पी०वी० की बढ़ी हुए धनराशि के अनुसार अवशेष धनराशि जमा की जानी है, जिसके क्रम में अवगत करना है कि विषयांकित प्रकरण में संशोधित एन०पी०वी० की दर के अनुसार अवशेष धनराशि निम्नानुसार जमा करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें-

प्रस्ताव का नाम	पूर्व में एन०पी०वी० की जमा धनराशि(रु० में)	एन०पी०वी० की धनराशि में बढ़ोत्तरी दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन०पी०वी० की दर (रु० प्रति है० में)	हस्तान्तरित वन भूमि (है० में)	06.01.2022 की दरो के अनुसार जमा की जानी वाली धनराशि (रु० में) कॉलम सं०(3 ग 4) के अनुसार	अवशेष जमा की जानी वाली धनराशि (रु० में) कॉलम सं०(5-2)के अनुसार
1	2	3	4	5	6
घाट-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड़ से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग	532170.00	1005210.00	0.810	814220.10	282050.10 या देय धनराशि रु० 282050.00

अतः विषयांकित प्रकरण में उपरोक्त तालिका के कॉलम सं० 6 में अवशेष जमा की जाने वाली धनराशि रु० 282050.00(रु० दो लाख बयासी हजार पचास मात्र) की धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से यथाशीघ्र जमा कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे। एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि के जमा होने के उपरान्त ही प्रकरण में अग्रत्तर कार्यवाही की जाएगी।

वन भूमि सं०

28/11/26

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।